

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग

लखनऊ, दिनांक 30 मार्च 2020

विषय-जनपद सीतापुर में स्थित नैमिषारण्य में साइनेज स्थापना के कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-4800/6-1-1(1115)/2020 दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद सीतापुर में स्थित नैमिषारण्य में साइनेज स्थापना के कार्य हेतु उ0प्र0 स्टेड कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेण्ट कारपोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए उसके द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष विभागीय अप्रेजल समिति के परीक्षणोपरान्त आकलित की गयी धनराशि रू0 430.50 लाख (रूपये चार करोड तीस लाख पचास हजार मात्र)+जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि अर्थात् रू0 215.25 लाख (रूपये दो करोड पन्द्रह लाख पचीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार सम्बन्धित संस्थाओं /विभागों/प्राधिकरणों आदि से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा। प्रश्नगत कार्य की निविदा ई-टेंडरिंग के माध्यम से की जायेगी तथा इस हेतु समय-समय पर निर्गत आदेशों/शासनादेशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा। प्राप्त तकनीकी स्वीकृति एवं कार्य की निविदा से सम्बन्धित अभिलेख शासन को शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- (3) प्रायोजना का क्रियान्वयन पर्यटन विभाग में संचालित योजनाओं /परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों/आगणनों के परीक्षण एवं मूल्यांकन (अप्रेजल) हेतु गठित समिति की दिनांक 29 जनवरी, 2020 व 07 फरवरी 2020 को सम्पन्न बैठक के सम्बन्ध में पर्यटन अनुभाग के पत्र सं0-705(1)/41-2020-80 यू0ओ0/2017, दिनांक 18 फरवरी, 2020 द्वारा निर्गत कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। परियोजना में कार्यदायी संस्था

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

द्वारा तैयार किये गये आगणन में मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना के प्रस्तावित कार्य प्रावधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ आदि प्रयुक्त करने के पूर्व अनिवार्य रूप से सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा

- (4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व पर्यटन निदेशालय/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी आदि द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (5) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 29 जुलाई, 2019 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। कार्यदायी संस्था से कराये गये कार्यों के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।
- (6) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाय। कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्मित परिसम्पत्ति के समुचित रख-रखाव एवं अनुरक्षण की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा अधिरोपित लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान अनिवार्य रूप से कर दिया जायेगा।
- (7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों , समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप , आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2019 के प्रस्तर-2(8)(च) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (8) स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन/वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

- (9) प्रायोजना के अन्तर्गत कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों के अनुपालन का दायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन विभाग के सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी की होगी। परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) कार्यदायी संस्था को प्रश्नगत प्रायोजना कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि पृथक से वास्तविक भुगतान के अनुसार की जायेगी तथा प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। कार्यदायी संस्था से वास्तविक रूप से भुगतान की गयी जी0एस0टी0 की धनराशि का आवश्यक प्रमाण-पत्र/विवरण पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्राप्त कर महानिदेशक, पर्यटन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा इसका परीक्षण वित्त नियन्त्रक पर्यटन निदेशालय द्वारा करते हुए संस्तुति सहित सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए शासन को उपलब्ध करायी जायेगी तभी जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- (12) स्वीकृत धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा अधिरोपित लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान अनिवार्य रूप से कर दिया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- (13) प्रायोजना की स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर दी जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं महानिदेशक, पर्यटन का होगा। प्रायोजना की अग्रतर धनराशि तभी अवमुक्त की जायेगी जब अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष 80 प्रतिशत का उपभोग कर लिया जायेगा तथा इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र संगत प्रपत्रों में फोटोग्राफ सहित सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।
- (14) उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी आदि द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/ पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था के मुख्य अभियन्ता, महाप्रबन्धक /अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक आदि उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3. प्रस्तर-4 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-38-जनपद सीतापुर स्थित नैमिषारण्य का पर्यटन विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-जाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-115/2020/3922/41-2019-155(बजट)/2019 ,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 3- जिलाधिकारी, सीतापुर।
- 4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेण्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
- 8- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेण्ट कारपोरेशन लि0, सीतापुर।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
- 10- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी , लखनऊ।
- 11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
- 12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,
(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।